18

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 3494/तीन–2013 विरूद्व आदेश दिनांक 9–7–13 – पारित – अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर –प्रकरण कमांक 633 अ 74/2012–13 अपील

1– शंभूदयाल जड़िया पुत्र कन्हैयालाल जड़िया
निवासी महेन्द्र भवन के पास, धाम मोहल्ला
पन्ना तहसील व जिला पन्ना मध्य प्रदेश ———अपीलांट

विरूध्द

1– जयराम सिंह यादव पुत्र रामचरण
ग्राम तंशनगर मांझा तहसील व जिला पन्ना
2– स्टेट आफ मध्य प्रदेश व्दारा कलेक्टर पन्ना ———रिस्पा0

अपीलांट के अभिभाषक श्री जी.बी.सर्राफ
रिस्पा0 –1 के अभिभाषक श्री रूपसिंह यादव

आदेश

(आज दिनांक 9–7 – 2014 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 633 अ 74/12–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–7–2013 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक–1 ने अपर कलेक्टर पन्ना के समक्ष संहिता की धारा 107 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि उसके व्दारा शंभूदयाल जड़िया एंव घनश्याम दास जड़िया से सन 1978 में भूमि सर्वे नंबर 7 लगायत 11 एंव 20, 21 कुल किता 7 कुल रकबा 18.00

एकड़ ग्राम माझा में कय करके कब्जा प्राप्त किया है और तत्समय से उसके नाम शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर भूमि दर्ज है। वर्ष 1981–82 से उपरोक्त रकबा 7.284 हैक्टर दर्ज रहा तथा पुराने नक्शा अनुसार भूमि पर काविज होकर कृषि करता आया, किन्तु 83–84 में बंदोवस्त हुआ और बंदोवस्त के वाद इन सर्वे नंबरों से नया नंबर 6 बनाया गया जिसका रकबा 6.93 हैक्टर है जिसके रकबे में कमी कर दी गई है इसलिये नक्शे में रकबा दुरूस्त किये जाने का आवेदन दिया गया। अपर कलेक्टर ने प्रकरण कमांक 9 अ 72/11–12 पंजीबद्व किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 31.7.12 पारित किया तथा रामचरण यादव निवासी ग्राम मांझा की भूमि खसरा कमांक 9 रकबा 0.35 हैक्टर अपीलांट की आराजी नंबर 6 में शामिल करते हुये नक्शा सुधार के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अपीलांट ने अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 633 अ 74/12–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–7–2013 से अपील समयवाह्य मानकर निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील है।

3/ अपील मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

3/ अपीलार्थी के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि अपर कलेक्टर पन्ना ने रिस्पा0 के आवेदन पर संहिता की धारा 107 का प्रकरण दर्ज कर लिया तथा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 31.12.12 से नक्शे में सर्वे नंबर 8,9,10,11,20,21 नवीन सर्वे नंबर 6 के रकबे को सॅशोधित करने का आदेश दिया है जिससे अपीलांट की भूमि प्रभावित हो गई है क्योंकि अपर कलेक्टर के समक्ष रिस्पा0 ने अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया और जब अपीलांट की भूमि पर रिस्पा0 ने कब्जा करने का प्रयास किया तब पटवारी से जानकारी लेने पर 18–4–13 को प्रथमवार जानकारी मिली,

तदुपरांत प्रमाणित प्रतिलिपियॉ 3—5—13 को प्राप्त होने पर जानकारी के दिन ने अन्दर म्याद अपर आयुक्त को अपील की गई, किन्तु अपर आयुक्त ने अपील को बेरूम्याद मानकर निरस्त करने में भूल की है।

रिस्पा0 के अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट ने अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील मेमो के संलग्न अवधि विधान की धारा—5 के आवेदन में दिन प्रतिदिन का हिसाव नहीं दिया। अपीलांट को यह मालूम था रिस्पा0 व्दारा भूमि सर्वे नंबर 8,9,10,11,20,21 जर्य विकय पत्र दिनांक 20—9—78 से कय करके खेती की जा रही है। रिस्पा0 का 0.350 हैक्टर रकबा अपीलांट का दवाये हुये था जिसके कारण नक्शा आकृति में विसंगति सुधार का आवेदन दिया गया है अपर आयुक्त ने दिन प्रतिदिन का हिसाव न देने से अपील बेरूम्याद मानकर ठीक निरस्त की गई है उन्होंने अपील निरस्त कर अपर आयुक्त के आदेश को स्थिर रखने की प्रार्थना की।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर पन्ना के प्रकरण कमांक 9/11—12 अ 74 के अवलोकन पर पाया गया कि इस प्रकरण के मूल दावे में रिस्पाण्डेन्ट ने मध्य प्रदेश शासन को पक्षकार बनाया है अर्थात अपीलांट को अपर कलेक्टर के न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि लेखी एंव मौखिक बहस में रिस्पाण्डेन्ट ने स्वयं् बताया है कि है कि रिस्पा0 का 0.350 हैक्टर रकबा अपीलांट दवाये हुये था जिसके कारण नक्शा आकृति में विसंगति सुधार का आवेदन दिया गया है और अपीलांट ने अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अवधि विधान की धारा—5 के आवेदन में भी यहीं बताया है कि वह विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं रहा है जब उसकी भूमि पर रिस्पा. ने कब्जे का प्रयास किया, पटवारी से जानकारी लेने पर अपर कलेक्टर के आदेश की जानकारी मिली, तब प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर अपील की गई है।

4/ प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि अपर कलेक्टर पन्ना के प्रकरण कमांक 9/11—12 अ 74 में पारित आदेश दिनांक 31.12.12 के विरूद्व अपर आयुक्त के समक्ष दिनांक 8 मई 13 को अपील प्रस्तुत की गई है अर्थात 5 माह का विलम्ब है जिसमें से 45 दिवस कम करने पर विलम्ब साढे तीन माह के लगभग है जबकि अपीलांट के विरूद्व अपर कलेक्टर का आदेश एकपक्षीय है। अतएव विलम्ब का कारण सदभाविक होकर क्षमा योग्य है क्योंकि न्यायदान के लिये आवश्यक है कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963— धारा 5 के आवेदन में पर्याप्त कारण होने से न्यायालय को बैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलम्ब क्षमा करना चाहिये। उद्घोषणा तथा समन विधि के अनुसरण में नहीं होने पर अथवा हितबद्व व्यक्ति को सम्यक सूचना नहीं होने पर विलम्ब माफ किया जाना चाहिये। परिसीमा अधिनियम, 1963— धारा 5 में दिये गये कारणों पर सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये एंव पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार—रूख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिये, किन्तु अपर आयुक्त व्दारा इन तथ्यों पर विचार न करने में भूल की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 633 अ 74/12—13 अपील में पारित आदेश दिनांक 9—7—2013 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि वह हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर अपील प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर